| क्र॰ सं॰ | स्वयं सेवी संगठनों के नाम | नगर/शहर | राज्य |
|---|---|---|---|
| 15. | स्कूल आफ फंडामेंटल रिसर्च, टालीगंज (पश्चिम बंगाल) | बख्तियारपुर, मोकामा, मुंगेर, सुल्तानगंज भागलपुर, राजमहल, फरक्का, कृष्णानगर, कलकत्ता, गंगा सागर | बिहार/पश्चिम बंगाल |
| 16. | जय प्रकाश नारायण जन्मोत्सव समिति, नादिया (प॰बं॰) | नादिया | पश्चिम बंगाल |
| 17. | भारतीय और राजीव, चिन्सुरा | चिन्सुरा | पश्चिम बंगाल |
| 18. | सेन्टर फार स्टडी आन मैन एंड इन्वार्नमेंट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) | बैरकपुर | पश्चिम बंगाल |
| 19. | बंगाल फाइन आर्ट्स कालेज, नार्थ-24 परगना | नार्थ-24 परगना | पश्चिम बंगाल |
| 20. | नार्थ-24 परगना जिला माणिमेला (पश्चिम बंगाल) | नार्थ-24 परगना | पश्चिम बंगाल |
| 21. | कमेटी फार नेशनल इन्टीग्रेशन, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल |
| 22. | कैनिंग मिलान चक्र, साऊथ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) | साऊथ-24 परगना | पश्चिम बंगाल |
| 23. | संकट मोचन निधि, अमर भवन, वाराणसी (उ॰प्र॰) | वाराणसी | उत्तर प्रदेश |
| 24. | राष्ट्रीय ग्रामीण शोध संस्थान, इलाहाबाद (उ॰प्र॰) | इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश |
| 25. | सबुज स्वप्न, नार्थ-24 परगना (पश्चिम बंगाल) | नार्थ-24 परगना | पश्चिम बंगाल |

**देश के विभिन्न भागों में हाथियों का मारा जाना**

243. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधवः** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में हाथी दांत प्राप्त करने के लिए हाथियों की हत्या की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष शिकार-चोरों द्वारा राज्य-वार कितने-कितने हाथियों की हत्या की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) विभिन्न राज्यों से हाथियों के चोरी-छिपे शिकार की रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चोरी-छिपे शिकार कर्ताओं द्वारा मारे गए हाथियों की संख्या निम्नलिखित हैः

| राज्य | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 के दौरान मारे गए हाथियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| आसाम | 04 | 05 | 05 |
| केरल | 04 | 03 | 15 |
| कर्नाटक | 07 | 12 | 10 |
| उड़ीसा | 16 | 19 | 07 |
| तमिलनाडु | 07 | 04 | 05 |
| उत्तर प्रदेश | 03 | — | — |
| पश्चिम बंगाल | — | — | 01 |
| | 41 | 43 | 43 |

**मध्य प्रदेश में पक्षियों का शिकार किया जाना**

244. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधवः क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** किः

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पक्षियों का अवैध शिकार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पक्षियों के शिकार को रोकने के लिए राज्य सरकार को क्या निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) पारिस्थितिकीय-संतुलन बनाये रखने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** (क) और (ख) मध्य प्रदेश में पक्षियों के अवैध शिकार की घटनाओं की कुछ रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हुई थी तथा उन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करने के लिए इन मामलों को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। राज्य सरकार के प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत शामिल जीवों और पक्षियों के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें।

(ग) पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए उपाए इस प्रकार हैं:

1. देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों तथा जैव-मंडलीय रिज़र्वों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क की स्थापना करना।

2. इन सुरक्षित क्षेत्रों का वैज्ञानिक आधार पर प्रबन्धन।

3. ऐसे वनस्पति आच्छादन को हटाने पर प्रतिबन्ध लगाना जो किसी राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के वास-स्थल का एक हिस्सा हो।

4. (1) भूमि की उत्पादकता को सतत् रूप में तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से बढ़ाने, तथा

   (2) वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता कम करने के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु इन क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

5. जीवित जीवों एवं पक्षियों तथा उनके उत्पादों, स्वाभाविक रूप से झड़ जाने वाले उत्पादों को छोड़कर, के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।

6. राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करना।

7. बाघ और हाथी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विशिष्ट परियोजनाएं लागू करना।

**Forest Land in the State of Maharashtra**

245. CHOWDHRY HAR1 SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the total land demarkated for forests in the State of maharashtra and what is the actual forest cover;

(b) what is the position on All India level about the demarkated forest land and forest cover;

(c) the details of the projects which arc pending for getting clearance due to the problem of forestry from Maharashtra State; and

(d) by when they are likely to be cleared?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) According to the latest assessment made by Dehra Dun based Forest Survey of India, on visual interpretation of satellite imageries pertaining to the period 1987-89, the total recorded forest area in the country is 7,70,078 sq. km. and in the State of maharashtra is 63,861 sq. kms. against which the actual vegetation cover in the country is 6,39,182 sq. kms and in the State of maharashtra is 44,044 sq. kms.

(c) The details of the 23 projects of Maharashtra State pending with the Central Government as on 31.10.92 under the Forest (Conservation)- Act, 1980 are given in the statement attached. *(See* below)

(d) After the receipt of all the essential details, the pending proposals would be examined expeditiously for final decision.